हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 11 अगस्त, 2021

संख्या वि०स0—विद्यायन—सरकारी विधेयक / 1—19 / 2021.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम—140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 7) जो आज दिनांक 11 अगस्त, 2021 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो चुका है, सर्व साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित / — सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

2021 का विधेयक संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।
- (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबन्ध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र (ई—गज़ट), हिमाचल प्रदेश में नियत करे।
- 2. धारा 7 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 7 की उप—धारा (1) में, खण्ड (क) के पश्चात्, प्रथम जुलाई, 2017 से निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा और अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्ः—

''(कक) किसी व्यक्ति, जो किसी व्यष्टि से भिन्न है, द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्येन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अभिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक् व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों या संव्यवहारों का पारस्परिक प्रदाय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया गया समझा जाएगा;"।

- 3. **धारा 16 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 16 की उप—धारा (2) के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः—
 - ''(कक) खण्ड (क) में निर्दिष्ट बीज़क या नामे नोट के ब्यौरे प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदाय के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीज़क या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं;''।
 - 4. धारा 35 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 35 की उप—धारा (5) का लोप किया जाएगा।
- **5. धारा 44 का प्रतिस्थापन.**—मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
 - "44. वार्षिक विवरणी.—िकसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति इलैक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित प्रदायों के मूल्य का समाधान करते हुए एक स्वप्रमाणित समाधान विवरण सम्मिलित किया जा सकेगाः

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान कर सकेगाः

परन्तु यह और कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात, केन्दीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकरण को, जिनकी लेखा बहियां भारत के नियन्त्रक, महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकरणों के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अध्यधीन हैं, लागू नहीं होगी।"।

- 6. धारा 50 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 50 की उप—धारा (1) के परन्तुक में, ''उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा'' शब्दों के स्थान पर ''उस भाग के लिए संदेय होगा'' शब्द रखे जाएंगे और प्रथम जुलाई, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे।
- 7. धारा 74 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 74 के स्पष्टीकरण (1) के खण्ड (ii) में, ''धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130'' शब्दों, चिह्नों और अंकों के स्थान पर ''धारा 122 और धारा 125'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।
- **8. धारा 75 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 75 की उप—धारा (12) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

''स्पष्टीकरण.—इस उप—धारा के प्रयोजनों के लिए, ''स्वतःनिर्धारित कर'' पद में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरों के संबन्ध में संदेय कर सम्मिलित होगा किन्तु जिसे धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।''।

- 9. **धारा 83 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 83 की उप—धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
 - ''(1) जहां अध्याय—12, अध्याय—14 या अध्याय—15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरम्भ होने के पश्चात्, आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, अनन्तिम रूप से कराधेय व्यक्ति या धारा 122 की उप—धारा (1क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से संबंधित किसी

संपत्ति, जिसके अन्तर्गत बैंक खाता भी है, की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा।"।

- 10. **धारा 107 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 107 की उप—धारा (6) के खण्ड (ख) के अन्त में ''।'' चिह्न के स्थान पर '':'' चिह्न रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 - '' परन्तु धारा 129 की उप—धारा (3) के अधीन किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का अपीलकर्त्ता द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।''।
 - 11. धारा 129 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 129 में,—
 - (i) उप—धारा (1) में खण्ड (क) और खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
 - ''(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर की शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हज़ार रुपए, जो भी कम हो, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा;
 - (ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर की शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर की रकम या पच्चीस हज़ार रुपए, जो भी कम हो, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा ;";
 - (ii) उप—धारा (2) का लोप किया जाएगा;
 - (iii) उप–धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--
 - "(3) माल या वाहन को निरूद्ध करने या उसका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी ऐसे निरूद्ध या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात्, उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।";
 - (iv) उप—धारा (4) में, ''कर, ब्याज़ या शास्ति'' शब्दों और चिह्न के स्थान पर, ''शास्ति'' शब्द रखा जाएगा; और
 - (v) उप–धारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--
 - "(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उप—धारा (1) में यथा उपबंधित शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन, उप—धारा (3) के अधीन संदेय शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जैसा विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने के लिए दायी होगाः

परन्तु परिवहनकर्ता द्वारा उप—धारा (3) के अधीन शास्ति के संदाय पर या एक लाख रुपए, जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगाः

परन्तु यह और कि जहां निरूद्ध या अभिगृहीत माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास होने की संभावना है तो पन्द्रह दिन की उक्त अविध समृचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।"।

- 12. धारा 130 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 130 में,—
 - (क) उपधारा (1) में, ''इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि'' शब्दों के स्थान पर ''जहां' शब्द रखा जाएगा;
 - (ख) उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक में, ''धारा 129 की उप—धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, ''ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर की'' शब्द रखे जाएंगे; और
 - (ग) उप-धारा (3) का लोप किया जाएगा।
- **13. धारा 151 का प्रतिस्थापन.**—मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातु:—
 - ''151. **सूचना मांगने की शक्ति.**—आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के सम्बन्ध में व्यवहृत किसी मामले से सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।''।
 - 14. **धारा 152 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 152 में,—
 - (क) उप–धारा (1) में,–
 - (i) ''कोई व्यष्टिक विवरणी या उसके भाग की'' शब्दों का लोप किया जाएगा; और
 - (ii) ''ऐसी सूचना इस अधिनियम के किन्हीं प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी'' शब्दों के स्थान पर ''इस अधिनियम के अधीन, सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना, किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ ऐसी कोई सूचना उपयोग में नहीं लाई जाएगी'' शब्द और चिह्न रखे जाएंगे; और
 - (ख) उप–धारा (2) का लोप किया जाएगा।
- 15. अनुसूची—2 का संशोधन.—मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची—2 में, पैरा 7 का प्रथम जुलाई, 2017 से लोप किया जाएगा और उक्त तारीख से लोप किया गया समझा जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवा या दोनों के अन्तर्राज्यीय प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबन्ध करने के दृष्टिगत अधिनियमित किया गया था। इसे और अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और सरल बनाने के आशय से माल और सेवा कर परिषद की

सिफारिशों के अनुसार अधिनियम में संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार ने परिषद् की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के आशय से वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 13) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के विभिन्न उपबन्धों में पहले ही संशोधन कार्यान्वित कर दिए हैं।

प्रस्तावित विधेयक इसके साथ–साथ किन्हीं विनिर्दिष्ट वृत्तिकों द्वारा वार्षिक लेखों को संपरीक्षित करवाने और समाधान विवरण को प्रस्तुत करने की अनिवार्य अपेक्षा को हटाने का भी उपबन्ध करता है। यह आयुक्त को कर-दाताओं के वर्ग को वार्षिक विवरणी को दाखिल करने की अपेक्षा से छूट देने हेत् भी सशक्त करता है। प्रस्तावित विधेयक यह भी उपबन्ध करता है कि धारा 150 और 151 के अधीन अभिप्राप्त कोई भी सुचना अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना उपयोग में नहीं लाई जाएगी। विधेयक में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि बीजक पर इनपुट कर प्रत्यय या नामे नोट का उपयोग तभी किया जा सकेगा जब ऐसे बीजक या नामे नोट के ब्यौरे प्रदायकर्ती द्वारा जावक प्रदायों की विवरणी में प्रस्तुत कर दिए गए हों और ऐसे ब्यौरे ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तकर्ता को संसुचित कर दिए गए हों। प्रस्तावित संशोधन यह स्पष्ट करते हैं कि 'स्वतः निर्धारण कर' के अन्तर्गत धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरों की बाबत संदेय कर भी हैं, किन्तु यह धारा 39 में प्रस्तुत की गई विवरणी में सम्मिलित नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया जा रहा है ताकि किसी व्यक्ति, जो किसी व्यष्टि से भिन्न है, द्वारा उसके सदस्य या घटकों या विपर्येन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मृल्यवान प्रतिफल के लिए माल या सेवा के प्रदाय में अन्तर्वलित क्रियाकलापों या संव्यवहारों पर कर के उद्ग्रहण को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम की धारा 50 उपयुक्त रूप से संशोधित की जा रही है ताकि शुद्ध नकदी उत्तरदायित्व पर ब्याज को भूतलक्षी प्रभाव से प्रभारित किया जा सके। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में विभिन्न संशोधन किए जाने प्रस्तावित हैं ताकि पणधारियों के लिए इसका अधिक प्रभावी और हितैषी बनना संभाव्य हो जाए।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जयराम	ठाकुर)
मुख्य	मन्त्री ।

शिमला :	
तारीख,	2021

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 7 of 2021

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2021

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No.10 of 2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy second year of the Republic of India as follows:—

- **1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021.
- (2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act, shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), appoint.
- **2. Amendment of section 7.**—In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in Section 7, in sub-section (1), after clause (a), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—
 - "(aa) the activities or transactions, by a person, other than an individual, to its members or constituents or vice-versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration.

Explanation.—For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions *inter se* shall be deemed to take place from one such person to another;".

3. Amendment of Section 16.—In Section 16 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (*a*), the following shall be inserted, namely:—

"(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37;".

- **4. Amendment of Section 35.**—In Section 35 of the principal Act, sub-section (5) shall be omitted.
- **5. Substitution of section 44.**—For section 44 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—
 - "44. **Annual return.**—Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or Section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section:

Provided further that nothing contained in this section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force."

- **6. Amendment of Section 50.**—In section 50 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, for the word "levied", the word "payable" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017.
- **7. Amendment of Section 74.**—In section 74 of the principal Act, in *Explanation* 1, in clause (*ii*), for the words, signs and figures "sections 122, 125, 129 and 130", the words and figures "Sections 122 and 125" shall be substituted.
- **8. Amendment of Section 75.**—In section 75 of the principal Act, in sub-section (12), the following shall be inserted, namely:—
 - "Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39.".
- **9. Amendment of Section 83.**—In Section 83 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:–
 - "(1) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue it is necessary so to do, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-Section (1A) of Section 122, in such manner as may be prescribed."
- **10. Amendment of Section 107.**—In Section 107 of the principal Act, in the end of subsection (6) in clause (b), for the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—
 - "Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of section 129, unless a sum equal to twenty-five per cent. of the penalty has been paid by the appellant.".
 - **11. Amendment of section 129.**—In section 129 of the principal Act,—
 - (i) in sub-section (1), for clauses (a) and (b), the following shall be substituted, namely:—
 - "(a) on payment of penalty equal to two hundred percent of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two per cent of the value of goods or twenty five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty;
 - (b) on payment of penalty equal to fifty per cent of the value of the goods or two hundred percent of the tax payable on such goods, whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five percent of the value of goods or twenty five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty;";
 - (ii) sub-section (2) shall be omitted;
 - (iii) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

- "(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter pass an order within a period of seven days from the date of service of such notice, for payment of penalty under clause (a) or clause (b) of sub-section (1).";
- (iv) in sub-section (4), for the words and sign "No tax, interest or penalty", the words "No penalty" shall be substituted; and
- (v) for sub-section (6), the following shall be substituted, namely:—
- "(6) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the penalty payable under sub-section (3):

Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (3) or one lakh rupees, whichever is less:

Provided further that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.".

- **12.** Amendment of Section 130.—In Section 130 of the principal Act,—
- (a) in sub-section (1), for the words and sign "Notwithstanding anything contained in this Act, if", the word "Where" shall be substituted;
- (b) in sub-section (2), in the second proviso, for the words, signs and figures "amount of penalty leviable under sub-section (1) of Section 129", the words and sign "penalty equal to hundred percent. of the tax payable on such goods" shall be substituted; and
- (c) sub-section (3) shall be omitted.
- **13. Substitution of Section 151.**—For Section 151 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—
 - "151. **Power to call for information.-**The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, and in such manner, as may be specified therein."
 - **14.** Amendment of Section 152.— In section 152 of the principal Act,—
 - (a) in sub-section (1),—
 - (i) the words "of any individual return or part thereof" shall be omitted; and

- (ii) after the words "any proceedings under this Act", the words "without giving an opportunity of being heard to the person concerned" shall be inserted; and
- (b) sub-section (2) shall be omitted.

15. Amendment of SCHEDULE II.— In SCHEDULE II of the principal Act, paragraph 7 shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted with a view to make provisions for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State Government. In order to make it more effective, workable and affable, it is proposed to amend the Act as per the recommendations of the Goods and Services Tax Council. It is pertinent to add that the Central Government had already carried out amendments in the various provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 *vide* the Finance Act, 2021 (Act No. 13 of 2021) in order to implement the recommendations of the Council.

The proposed Bill, inter-alia, provides for removing the mandatory requirement of getting annual accounts audited and submission of reconciliation statement by a specified professional. It also empowers the Commissioner to exempts a class of taxpayers from the requirement of filing the annual return. It also provides that no information obtained under sections 150 and 151 shall be used for the purposes of any proceedings under the Act without giving any opportunity of being heard to the person concerned. It has also been proposed in the Bill that the input tax credit on invoice or debit note may be availed only when the details of such invoice or debit note has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note. The proposed amendment seeks to clarify that 'self assessment tax' shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39. The Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 is being amended retrospectively so as to ensure levy of tax on activities or transactions involving supply of goods or services by any person, other than an individual, to its members or constituents or vice-versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration. Section 50 of the Act is being amended so as to charge interest on net cash liability retrospectively. Thus, the various amendments proposed to be carried out in the Act ibid are likely to make it more effective and friendly to the stakeholders.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

	(JAI RAM THAKUR)
	Chief Minister.
SHIMLA:	
The, 2021	